भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *459

02 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान

†*459. श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान के लिए कितनी धनराशि संस्वीकृत तथा उपयोग की गई है;

(ख) क्या अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान के अंतर्गत शैक्षणिक विश्वविद्यालयों को अनुसंधान हेतु अनुदान प्रदान किया जा रहा है:

(ग) यदि हां, तो ऐसे शैक्षणिक विश्वविद्यालयों का राज्यवार व्यौरा क्या है जिन्हें अनुसंधान के लिए धनराशि प्रदान की जा रही है;

(घ) क्या सरकार की शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान के क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान के संबंध में दिनांक 02.04.2025 को लोक सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 459 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) सरकार ने एएनआरएफ अधिनियम 2023 के माध्यम से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) की स्थापना की है जिसे फरवरी 2024 में अधिसूचित किया गया। एएनआरएफ का उद्देश्य एएनआरएफ निधि, नवोन्मेष निधि, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान निधि, विशेष प्रयोजन निधियों के रूप में निधियां प्राप्त करना है। केंद्र सरकार द्वारा 14,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है और शेष धनराशि अन्य स्रोत से अनुदान के माध्यम से प्राप्त की जाएगी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, निजी क्षेत्र, परोपकारी संगठन, प्रतिष्ठान या एएनआरएफ को दी गई राशि से पुनर्प्राप्ति, एएनआरएफ द्वारा प्राप्त धनराशि के निवेश से होने वाली आय तथा विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 के निरसन के अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष में जमा सभी धनराशि शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, एएनआरएफ को 966 करोड़ रुपये का संशोधित प्राक्कलन (आरई) आवंटित किया गया है जिसमें से 721 करोड़ रुपये का उपयोग पहले ही किया जा चुका है।

(ख) से (ग): जी, हां। शैक्षिक विश्वविद्यालय संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार एएनआरएफ से विज्ञापित विभिन्न आह्वानों के तहत प्रतिस्पर्धी मोड में अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करके अनुसंधान अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। अब तक पाँच आह्वानों: प्रधान मंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान अनुदान (पीएमईसीआरजी), ईवी-मिशन, समावेशी अनुसंधान अनुदान (आईआरजी), त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी (पीएआईआर) और जे सी बोस अनुदान की घोषणा की गई है। इनमें से, पीएआईआर कार्यक्रम का उद्देश्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों की अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करना है, जहां अनुसंधान अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है लेकिन उसमें काफी संभावनाएं हैं। यह कार्यक्रम मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर उभरते संस्थानों को प्रतिष्ठित, शीर्ष स्तरीय अनुसंधान संस्थानों के साथ 'हब एंड स्पोक' संरचना में मिलाता है। पीएआईआर कार्यक्रम के उद्देश्यों में: पर्याप्त प्रभाव और परिणाम के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान को सहायित करना; विविध संस्थानों के बीच सफल और उत्पादक सहयोगी नेटवर्क को बढ़ाना; और (i) उन्नत अनुसंधान अवसंरचना और क्षमताओं का वर्धन और उन्नयन करके, (ii) अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाना और (iii) सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुसंधान संस्कृति के संचार को सुविधाजनक बनाना शामिल हैं।

पीएआईआर कार्यक्रम ने पांच वर्षों के लिए 1,500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है जिसमें प्रत्येक चयनित पीएआईआर नेटवर्क 100 करोड़ रुपये तक के वित्तपोषण के पात्र है। इसमें से 30% धनराशि हब संस्थान को दी जाएगी जबकि 70% स्पोक संस्थानों को आवंटित की जाएगी। यह परिकल्पना की गई है कि चयनित स्पोक से संबद्ध हब से विनिर्दिष्ट सांकेतिक विषयों में संभावित महत्वपूर्ण परिणामों सहित प्रतिस्पर्धी, प्रभावशाली अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

अपने प्रथम चरण में, कार्यक्रम उन विश्वविद्यालयों को लक्षित कर रहा है जिन्होंने राष्ट्रीय रैंकिंग के माध्यम से क्षमता का प्रदर्शन किया है और जो अपनी अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आशाजनक हैं। विभिन्न एएनआरएफ आह्वान के तहत प्राप्त प्रस्तावों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

(घ) से (च): जी, हाँ। आज की तारीख में, शिक्षण संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान के क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है, तथापि, त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी (पीएआईआर) नामक कार्यक्रम के तहत, जिसे 'हब और स्पोक' संरचना में कार्य करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, देश भर में ऐसे हब स्थापित किए जाएंगे।

*****